FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0166 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 08/08/2024 17:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 31/01/2020 Date To (दिनांक तक): 31/08/2022

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 08/08/2024 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 08/08/2024 17:03:09 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 250 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): NAGAR PALIKA SARDULSHAHAR, DISTRICT SHRI GANGANAGAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SABBIR KHAN

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 12/02/1974 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE DHANKOLI, MAULASAR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE DHANKOLI, MAULASAR, डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PURSHOTAM KUMAR JAIN		पिता:NIRANJAN DAS JAIN	1. WARD 13,HANUMANGARGH,RAJASTH
2	CHANDANDEEP SINGH		पिता:IKBAL SINGH JATSINGH	1. WARD 17 PURANI AABADI,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
3	ROSHANLAL		पिता:AMILAL MEGHAWAL	1. Ward 01 SARDUL SHAHAR,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
4	BHALARAM		पिता:JAGDISH PRSAD MEGHWAL	1. WARD 01 SARDUL SHAHAR,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध		

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि परिवादी श्री भागीरथ चौधरी अध्यक्ष श्री सनातन धर्म महावीर दल प्रबंधन समिति सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा एक शिकायत इस आशय की पेश की गई कि श्री सनातन धर्म महावीर दल प्रबंधन समिति सार्दुलशहर को चक 10 KRW में पत्थर नम्बर 78/129 मुरबा नम्बर 39 किला नम्बर 11,12 की एक बीघा 7 बिस्वा भूमि दिनांक 25.06.1960 को निदेशक उप निवेशन भाखड़ा प्रोजेक्ट हनुमानगढ द्वारा आवंटन की गई। उक्त भूमि में से 105X107 फिट कुल 11,235 वर्गफिट भूमि को भालाराम पुत्र जगदीश प्रसाद मेघवाल निवासी सार्दुलशहर के आवेदन पर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री पुरूषोतम कुमार जैन, कनिष्ठ अभियन्ता चन्दनदीप सिंह, सहायक कर्मचारी रोशनलाल नगरपालिका सार्दुलशहर द्वारा आपस में मिलीभगत कर श्री भालाराम के नाम से व्यवसायिक रूपान्तरण किया गया। उक्त शिकायत पर परिवाद संख्या 28/2021 दर्ज कर जांच की गई। परिवाद की जांच से पाया गया कि श्री सनातन धर्म महावीर दल प्रबंधन समिति सार्दुलशहर एक पंजीकृत शाखा है। उक्त शाखा को व्यायामशाला के लिये निदेशक उपनिवेशन भाखड़ा प्रोजेक्ट हनुमानगढ द्वारा दिनांक 25.06.1960 को चक KRW के किला नम्बर 11, 12 मुरबा नम्बर 39 पत्थर नम्बर 78/129 में एक बीघा 07 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। उक्त भूमि पर प्रबंधन समिति द्वारा रसीद नम्बर 24487/77 दिनांक 11.11.1960 के जरिये समस्त राशि जमा करवाई गई। उक्त भुमि पर महावीर दल द्वारा चारदिवारी व व्यायामशाला भवन बनवाकर विद्युत कनेक्शन लिया गया तथा उक्त भुमि की सिंचाई की पर्ची महावीर दल को जारी की जाती है। दिनांक 29.07.1969 को तत्का. तहसीलदार सार्दुलशहर द्वारा जिलेदार, हल्का पटवारी व खजांची की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि पर महावीर दल का कब्जा होने की तस्दीक की गई, परन्तु महावीर दल एक सार्वजनिक संगठन होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि का नामान्तरकरण महावीर दल के नाम से दर्ज नहीं हुआ। मौके पर आज भी महावीर दल उक्त भूमि पर काबिज है तथा यह भूमि मुख्य मार्ग पर कस्बा सार्दुलशहर में आने के कारण वर्तमान में कीमती भूमि है। श्री भालाराम पुत्र जगदीश प्रसाद मेघवाल निवासी सार्दुलशहर ने कृषि भूमि खाता संख्या 68/43 पत्थ्र नम्बर 78/129 के मुरबा नम्बर 39 के किला नम्बर 12 में 105 गुणा 107 फिट कुल 11,235 वर्गफिट भूमि को स्वयं की होना दर्शा कर कृषि भूमि से व्यवसायिक रूपान्तरण करने हेतु नगरपालिका सार्दुलशहर में आवेदन किया गया। भालाराम द्वारा उक्त आवेदन किस दिनांक को किस अधिकारी के समक्ष पेश हुआ, इस बाबत् आवेदन पत्र पर किसी अधिकारी की कोई मार्किंग नहीं है। आवेदन होने पर भी रोशनलाल मेघवाल सहायक कर्मचारी नगरपालिका सार्दुलशहर द्वारा उक्त आवेदन को नोटशीट पर लेकर मौका रिपोर्ट हेतु टिप्पणी अंकित कर तत्का. अधिशाषी अधिकारी श्री सोहनलाल नायक के समक्ष प्रस्तुत की जिन्होनें मौका रिपोर्ट हेतु जेईएन नगरपालिका सार्दुलशहर को मार्क की गई। जेईएन श्री चन्दनदीप सिंह द्वारा मौका रिपोर्ट की गई कि "प्रस्तुत नक्शे के अनुसार उक्त भूमि संगरिया रोड़ पर स्थित है तथा मास्टर प्लान के अनुसार व्यवसायिक उपयोग हेतु आरक्षित है। सड़क की चौड़ाई बाबत् कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उक्त भूमि सड़क से चिपती नहीं दिखाई गई जिसकी स्पष्ट रिपोर्ट पटवारी से लिये जाने बाबत् उल्लेख किया। नगरपालिका द्वारा संबंधित पटवारी से सड़क की चौड़ाई बाबत् रिपोर्ट चाही गई तो श्री प्रदीप कुमार पटवारी करड़वाला ने दिनांक 01.06.2018 को रिपोर्ट पेश की कि चक 10 KRW के खाता संख्या 111/75 में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ सड़क के नाम 5.228 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा किला वाईज सड़क की चौड़ाई का अंकन नहीं है जो प्लॉट रूपान्तरण करवाना चाहते है वह मुरबा नम्बर 39 के किला नम्बर 12 में 105 गुणा 107 वर्गफिट का रकबा सड़क से लगता है। पटवारी की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार श्री चन्दनदीप

सिंह कनिष्ट अभियन्ता द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति को छुपाते हुए सा0नि0वि0 के सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार अपनी रिपोर्ट में चौडाई अंकित कर अधिशाषी अधिकारी को पेश की गई। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री रविशंकर द्वारा दिनांक 01.08.2019 को रोशनलाल लिपिक को अपनी टिप्पणी सहित उक्त प्रकरण सहायक नगर नियोजक श्रीगंगानगर को भिजवाने हेतु निर्देश दिए गए परन्तु रोशनलाल लिपिक द्वारा सहायक नगर नियोजक श्रीगंगानगर को ना भिजवाकर पत्रांक 656 दिनांक 01.08.2019 के संलग्न पत्रावली मुख्य नगर नियोजक जयपुर को भिजवाई गई। नगर नियोजक के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-परिवर्तन करने में कोई आपति नहीं होने की सूचना पर 90क की कार्यवाही बाबत् तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी श्री पृथ्वीराज की सहमति उपरान्त सूचना समाचार पत्र में प्रकाषत की गई। निर्धारित अवधि में कोई आपति प्राप्त नहीं होने पर श्री रोशनलाल सहायक कर्मचारी ने दिनांक 11.06.2020 को रूपान्तरित राशि की गणना कर अधिशाषी अधिकारी के आदेशानुसार 6,56,770 रूपये जरिये चैक आवेदक से जमा करवाकर 90क के आदेश प्रारूप 11 में तैयार कर अधिशाषी अधिकारी को प्रस्तुत किया गया, जिस पर श्री पुरूषोतम कुमार जैन अधिषाषी अभियन्ता कार्यवाहक अधिषाषी अधिकारी नगरपालिका सार्दुलशहर के हस्ताक्षर से पत्रांक 396-398 दिनांक 22.02.2021 को भालाराम के नाम से संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया। रोशनलाल सहायक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन आदेश की टिप्पणी पर किसी भी लिपिक के हस्ताक्षर नहीं पाये गए, जबकि टिप्पणी की हस्तलिपि रोशनलाल सहायक कर्मचारी की है। क्यांकि उक्त टिप्पणी पर रोशनलाल सहायक कर्मचारी के हस्ताक्षर इसलिए नहीं है कि दिनांक 22.02.2021 को रोशनलाल नगरपालिका सार्दुलशहर में पदस्थापित न होकर नगरपालिका संगरिया में पदस्थापित था। भूमि रूपान्तरण का आवेदक भालाराम पंजाब में रहता है तथा उसके ताउ चाचा रोशनलाल के पड़ोस में रहते है। इससे भी स्पष्ट है कि रोशनलाल सहायक कर्मचारी ने लाभार्थी भालाराम से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण पालिका मण्डल के सामने पेश नहीं कर कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए राशि पालिका कोष में जमा करवाई एवं पुरूषोतम कुमार जैन से मिलीभगत कर संपरिवर्तन आदेश जारी करवाया। दिनांक 26.09.2017 से उक्त भूमि भालाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इससे पूर्व भालाराम की माता एवं बहनों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जबकि मौके पर महावीर दल का कब्जा होने के उपरान्त भी भालाराम व उसके परिजनों ने भूमि का कब्जा लेने बाबत् किसी न्यायालय में कोई दावा पेश नहीं किया गया। उक्त भूमि महावीर दल के कब्जे में वर्ष 1960 से चली आ रही है जिसमें चार दिवारी व व्यायाम शाला भवन बनाकर विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। इस प्रकार आरोपी भालाराम मेघवाल द्वारा महावीर दल सार्दुलशहर की भूमि पर स्वंय का कब्जा नहीं होते हुए भी उक्त भूमि में से 105गुणा107 वर्गफिट भूमि को वाणिज्यिक रूपान्तरण करवाने हेतु नगरपालिका सार्दुलशहर में आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर नगरपालिका के किसी अधिकारी की कोई मार्किंग/आदेश न होते हुए भी श्री रोशनलाल सहायक कर्मचारी द्वारा पत्रावली संधारित कर कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट लेने बाबत नोटशीट पर टिप्पणी अंकित कर अधिशाषी अधिकारी से कनिष्ठ अभियन्ता के नाम मौका रिपोर्ट के आदेश की टिप्पणी कराई गई। मौका रिपोर्ट के संबंध में श्री चन्दनदीप सिंह कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका देखकर मौका रिपोर्ट में कुछ तथ्यों को छुपाते हुए अपनी टिप्पणी अंकित की। तत्पश्चात श्री रोशनलाल सहायक कर्मचारी द्वारा पत्रावली में रूपान्तरित राशि की गणना करने पर आवेदक भालाराम द्वारा राशि जमा करवाने के पश्चात श्री रोशनलाल सहायक कर्मचारी द्वारा पत्रावली की नोटशीट पर उक्त भूमि को वाणिज्यिक रूपान्तरण होने की टिप्पणी अंकित की तथा श्री पुरूषोतम कुमार जैन अधिशाषी अभियन्ता/कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी द्वारा आवेदक भालाराम मेघवाल का उक्त भूमि पर कब्जा न होते हुए भी वास्तविक तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए सार्वजनिक हित की कीमती कृषि भूमि को रिकार्ड दोष का लाभ उठाते हुए भालाराम के नाम वाणिज्यिक रूपान्तरण आदेश जारी कर अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संसोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। अतः श्री पुरूषोतम कुमार जैन अधिशाषी अभियन्ता/कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी, श्री चन्दनदीप सिंह कनिष्ट अभियन्ता व श्री रोशनलाल सहायक कर्मचारी नगरपालिका सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर तथा श्री भालाराम पुत्र जगदीश प्रसाद मेघवाल निवासी वार्ड न0 01 सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल कीकरवाला रूपा जिला फाजिल्का पंजाब एवं अन्य के विरूद्ध उक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक, भ्र0नि0 ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0 ब्यूरो चूरू.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1- श्री पुरूषोतम कुमार जैन पुत्र निरंजन दास जैन उम्र 62 वर्ष निवासी वार्ड न0 13 हनुमानगढ़ जंक्शन तत्कालीन अधिषाषी अभियन्ता, कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी न0पा0 सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर। 2- श्री चन्दनदीप सिंह पुत्र इकबाल सिंह जटसिख उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड न0 17 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता न0पा0 सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर। 3- श्री रोशनलाल पुत्र अमीलाल मेघवाल उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड न0 01 सार्दुलशहर तत्कालीन सहायक कर्मचारी नगरपालिका सार्दुलशहर जिला श्रीगंगानगर 4- श्री भालाराम पुत्र जगदीश प्रसाद मेघवाल उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड न0 01 सार्दुलशहर हाल आबाद कीकरवाला रूपा

तहसील फाजिल्का पंजाब 5- एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 117 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज., जयपुर क्रमांक 870-75 दिनांक 8.8.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर। 2 निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3- बोर्ड मण्डल, नगरपालिका संगरिया,जिला हनुमानगढ। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू । 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(परिवाद संख्या 28/2021) । उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHENDRA KUMAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/08/2024 17:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/01/1962				
2	Male	27/04/1991				
3	Male	02/02/1992				
4	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)